

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर खरगोन एवं बड़वानी जिले के अन्तर्गत वन मंडल, बड़वाह/सेंधवा की 39.437 हेक्टेयर वन भूमि 765 के छोटे उबल सकिंट हेक्टा खण्डवा-धूले विद्युत पारेण्ट लाईन के निर्माण हेतु प्रोजेक्ट हेड, खरगोन दांसमिशन लिमिटेड, सनावद को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	----	---

दिनांक: 19.7.2017
रक्तान्त: भोपाल


(महेश्वर शास्त्री
सचिव
मन्त्रालय
म.प्र. शास्त्री वन विभाग)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)